NNI
हर खबर पर पक्की नजर
पत्रकारिता
हमारा धर्म
निष्पक्षता
हमारी पहचान

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र

न्यूज नेक्स्ट इण्डिया

सत्यता व निष्पक्षता का छठवां वर्ष
www.nnindianews.com

वर्ष : 05, अंक-233, पृष्ठ : 12 मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026, मूल्य-03 रूपये मात्र

यूपी कैबिनेट: एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान

• चार लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सहमति, 22 प्रस्ताव मंजूर



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़े प्रस्ताव पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा अंडा, ऊन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी प्रदेश की स्थिति मजबूत है। हालांकि, इन क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन, डिजिटल प्रबंधन और संगठित बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बनाना है। इसके लिए स्टेट लैब स्टार्ट मिशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। मिशन के तहत रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। योजना में उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने और गाय की नस्ल सुधारने का भी प्रावधान है। दूध उत्पादन बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मुर्गी और बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भी सहायता देने की बात कही गई है।

पशु बीमा में सरकार देगी 85 फीसदी राशि

प्रस्ताव के अनुसार, पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने के साथ पशुओं का बीमा भी कराया जाएगा। बीमा की कुल लागत का 85 फीसदी हिस्सा सरकार और 15 फीसदी हिस्सा किसान वहन करेंगे। योजना के तहत एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान बताया गया है। सरकार का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, बेहतर नस्ल और बाजार व्यवस्था के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

मर्जर और डी-मर्जर पर स्टांप ड्यूटी का प्रावधान

उत्तर प्रदेश में कंपनियों के विलय (मर्जर) और विभाजन (डी-मर्जर) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्टांप ड्यूटी से जुड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर के लिए स्टांप ड्यूटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसके कारण उद्यमियों को प्रक्रिया के दौरान भ्रम और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मंत्री के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत कंपनी के मर्जर या डी-मर्जर में शेयर वैल्यू पर 0.50 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया है। यदि संबंधित मामले में संपत्ति शामिल है, तो उस पर दो फीसदी स्टांप ड्यूटी का प्रस्ताव है। कंपनी का पंजीकरण कराने और कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेयर वैल्यू के आधार पर स्टांप ड्यूटी देनी होगी।

सर्किल रेट के आधार पर ड्यूटी की समस्या होगी दूर

रविंद्र जायसवाल ने कहा कि स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण कई मामलों में सर्किल रेट के बराबर स्टांप ड्यूटी की मांग की जाती थी। इससे कंपनियों के विलय के दौरान उद्यमियों के सामने मुश्किलें आती थीं। प्रस्ताव लागू होने से दो कंपनियों के मिलकर एक कंपनी बनने जैसी प्रक्रियाओं में स्पष्टता आने की उम्मीद है। मंत्री ने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र में इस तरह का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी का विषय समवर्ती सूची से जुड़ा होने के कारण प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें:

रैली के दौरान गर्भवती महिला को दिया था धक्का, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी कर एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाले गए मार्च के दौरान राहुल गांधी ने एक गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था। याचिका में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़िता को मुआवजा देने की मांग की गई है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने रखा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत को बताया कि पहले से लंबित एक याचिका में इस मामले को लेकर आवेदन दिया गया है। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी और अन्य संबंधित लोगों से जवाब मांगा।

गुवाहाटी के होटल में गोलीबारी, एक ही परिवार के 4 लोगों समेत पांच की मौत

गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में सोमवार रात अज्ञात बदमाशों ने एक होटल के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इस वारदात में एक ही परिवार के 4 लोगों समेत पांच की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में होटल के कर्मचारी और स्टाफ भी शामिल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के एक घंटे के भीतर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से .30 बोर की पिस्टल बरामद की है। यह घटना सोमवार रात करीब 10 बजे ऋ रोड के व्यस्त कमर्शियल इलाके लचित नगर में होटल बिलास इन में हुई।। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की आला टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। गोलीबारी करने वाले बदमाशों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को मौके से अब तक चार शव मिले हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं एक की मौत इलाज के दौरान हुई है। उन्होंने अंदेशा जताया कि जांच के दौरान मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है और न ही गोलीबारी के पीछे की वजह साफ हो पाई है।

